अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र

Andaman And Nicobar Gazette

सत्यमेव जयते

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

Published by Authority

सं. 247, पोर्ट ब्लेयर, शुक्रवार, 8 दिसम्बर, 2006

No. 247, Port Blair, Friday, December 8, 2006

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन

सचिवालय

अधिसूचना

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक 8 दिसम्बर, 2006.

सं. 237/2006/फा.सं. 6-11/2002-लो.नि.वि.—भारत सरकार के गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के दिनांक 21 फरवरी, 1985 के अधिसूचना संख्या यू.14039/2/83-ए.एस.एल. के साथ पठित संविधान की अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 04.10.06 के संघ लोक सेवा आयोग की पत्र सं. पी.-3/30(12)/2006 आर.आर. और इस विषय की पूर्व की सभी अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए प्रशासक, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, अंडमान तथा निकोबार प्रशासन लोक निर्माण विभाग अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में कार्यपालक अभियन्ता (सिविल) तथा सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद की भर्ती पद्धति को नियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् -

1. **संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ**

(1)इन नियमों को अण्डमान तथा निकोबार प्रशाासन के अं.लो.नि.वि. की स्थापना में कार्यपालक अभियन्ता (सिविल) तथा सहायक अभियन्ता (सिविल) की भर्ती नियमावली (संशोधन) 2006 कहा जा सकेगा ।

(2) ये इसके सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान**

पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण तथा वेतनमान इन नियमावलियों के साथ संलग्न अनुसूची के पैरा 2, 3 एवं 4 में विनिर्दिष्टानुसार होंगे ।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं**

उक्त पदों से संबंधित भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योगयताएं तथा अन्य मामले उक्त अनुसूची के पैरा 5 से 14 में विनिर्दिष्टानुसार ही होंगे ।

4. **अयोग्यता**

कोई भी ऐसा व्यक्ति उक्त पदों में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जिसने—

क) ऐसे व्यक्ति से शादी या विवाह संविदा की हो, जिसका पति/पत्नी जीवित हो,

या

ख) पति/पत्नी के जीवित होते हुए किसी भी व्यक्ति से शादी या विवाह संविदा की हो,

बशर्ते कि प्रशासक, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह को यह समाधान हो जाने पर कि ऐसी शादी ऐसे व्यक्ति को और शादी के दूसरे पक्ष को लागू होने वाली स्वीय विधि के अधीन स्वीकार्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं ।

5. ढील देने की शक्ति

प्रशासक, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की राय में यदि किसी भी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो तो कारणों को अभिलिखित करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके आदेश द्वारा ऐसा कर सकते है ।

6. व्यावृत्ति

इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा संबंधी छूट और अन्य अपेक्षित रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराना अपेक्षित है ।

ह./-
(एम.एम. लखेड़ा)
प्रशासक
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह

प्रशासक, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के आदेश से तथा उनके नाम पर

ह./-
(कृष्णामूर्ति)
सहायक सचिव (लो.नि.वि)
फा.सं.6-11/2002-लो.नि.वि.

****

अनुसूची –I

अण्डमान लोक निर्माण विभाग, अं. तथा नि. प्रशासन में सहायक अभियंता (सिविल) के पद के लिए भर्ती नियमावली

1.	पद का नाम	सहायक अभियंता (सिविल)
2.	पदों की संख्या	91 (इक्यानबे)2006 (कार्यभार के अनुसार बदला जा सकता है)
3.	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी 'ख' राजपत्रित (अलिपिकीय)
4.	वेतनमान	रु. 6,500-200-10,500
5.	चयन या गैर-चयनपद	चयन
6.	क्या सेवा के परिवर्धित वर्षों का लाभ के.सि.से. (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत स्वीकार्य होगा ?	नहीं
7.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)

		नोट :- आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि भारत के उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी। (यह तिथि, आसाम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपूर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य का लद्दाख मण्डल, हिमाचल प्रदेश का लाहौल एवं स्पिति जिला और चम्बा का पंगी उप मण्डल, अंडमान तथा निकोबार अथवा लक्षद्वीप के लिए यह तिथि अंतिम तिथि नहीं होगी ।
8.	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	**अनिवार्य:-** i. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी में स्नातक की डिग्री अथवा समकक्ष । ii. सिविल इंजीनियरी में 2 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव **नोट 1** :- अन्यथा योग्य उम्मीदवरों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शैक्षिक योग्यता में छूट दिया जा सकता है। **नोट 2:**-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मामले में यदि चयन के किसी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग की राय में उनके लिए आरक्षित पदों को भरने हेतु अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में नहीं है तो संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अनुभव की योग्यता में छूट दिया जा सकता है ।
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा तथा शैक्षिक योग्यताएँ पदोन्नति की स्थिति में लागू होगी	**आयु** : नहीं **शैक्षिक योग्यता** : नहीं
10.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	2 वर्ष
11.	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	1. 85 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर अल्पावधि अनुबंध या प्रतिनियुक्ति द्वारा 2. 15 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा
12.	पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की जाने की स्थिति में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण किया जाना है	**पदोन्नति (85 प्रतिशत पदोन्नति कोटा को छोड़कर)** क) इस ग्रेड में 15 वर्ष की नियमित सेवा वाले कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) (बिना डिप्लोमा वाले) द्वारा 10 प्रतिशत तथा प्रारूपकार तथा सर्वेक्षक में 2 वर्ष का आई.टी.आई. प्रमाण पत्र **नोट :-** बिना डिप्लोमा वाले कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के लिए निर्धारित पदोन्नति कोटा केवल उन लोगों के लिए लागू होगा जो मैट्रिकुलेट हैं और आई.टी.आई. प्रमाण पत्र रखते हैं और सहायक अभियन्ता (सिविल) की भर्ती (संशोधन) नियम के अंडमान तथा निकोबार प्रशासन लोक निर्माण विभाग वर्ग 'ख' पदों की प्रकाशन की तिथि पर नियमित आधार पर कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पदधारी हो ख) (i) रु. 5000-8000 के वेतनमान वाले कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) तथा उसी ग्रेड में 10 साल की नियमित सेवा वाले डिप्लोमा धारी सिविल इंजीनियर में से 45 प्रतिशत ।
		(ii) रु. 5000-8000 के वेतनमान वाले कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) तथा, जिन्होंने इस ग्रेड में 6 साल की नियमित सेवा के साथ सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की हो, में से 45 प्रतिशत ।

		ऐसे मामले में अर्हक/पात्रता सेवा को पूरा कर लेने पर जब कनिष्ठों को पदोन्नति देने के मामले पर विचार किया जा रहा हो तो वरिष्ठों के मामले पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते वे अपनी अर्हक/पात्रता सेवा की निर्धारित अवधि की आधी अथवा 2 वर्ष से जो भी कम हो, पूरी कर ली हो तथा ऐसे कनिष्ठों जिन्होंने अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली हो के साथ-साथ वे भी दूसरे उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **<u>प्रतिनियुक्ति(अल्प अवधि ठेका सहित)</u>** केन्द्र/राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेशों/स्वायत्त संगठनो/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधीन अधिकारी जो : (क) (i) मूल संवर्ग (केडर)/विभाग में नियमित आधार पर समान पद के पदधारी; या (ii) मूल संवर्ग(केडर)/विभाग में रु. 5500-9000 के वेतनमान या समतुल्य पद में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद तीन वर्षों तक सेवा की हो ; या (iii) मूल संवर्ग/विभाग में रु. 5000-8000 के वेतनमान या समतुल्य पद में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद छः वर्षों तक सेवा की हो ; और (ख) पैरा 8 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव रखता हो:- **<u>नोट :-</u>** फीडर वर्ग के विभागीय अधिकारी, जो पदोन्नति के सीधे माध्यम पर हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के मामले में विचार करने योग्य नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर आया व्यक्ति भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा । प्रतिनियुक्ति की अवधि (आई.एस.टी.सी), जिसमें प्रतिनियुक्ति (आई.एस.टी.सी.) की वह अवधि भी शामिल है जो इसे नियुक्ति के तत्काल पूर्व किसी अन्य बाह्य संवर्ग पद पर इसी अथवा किसी अन्य संगठन/केन्द्र सरकार के विभाग में रहा हो, साधारणतः 3 वर्ष से अधिक न हो। प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयुसीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
13.	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसका गठन क्या है ?	निम्नलिखित को शामिल करते हुए वर्ग 'ख' -विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति/पुष्टि हेतु) 1. मुख्य सचिव, अं. तथा नि. प्रशासन — अध्यक्ष 2. मुख्य अभियंता (अं.लो.नि.वि.) — सदस्य 3. अं. तथा नि. प्रशासन के कोई अन्य सचिव — सदस्य
14.	परिस्थितियाँ जिनमें सीधी भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है	सीधी भर्ती तथा प्रतिनियुक्ति (आई.एस.टी.सी.) पर किसी अधिकारी को नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना अनिवार्य है ।

ह./-
सहायक सचिव(अं.लो.नि)
अं. तथा नि. प्रशासन
पोर्ट ब्लेयर